राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
शिक्षा का अधिकार
फोनः– 2708739 E-mail: rajssa.cce@gmail.com फैक्सः– 5107388, 2701822

क्रमांक : राप्राशिप/जय/सीसीई/ /2017–18/ 14286 दिनांक : 5/3/18

जिला परियोजना समन्वयक /
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिलें।

जिला परियोजना समन्वयक/
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
राज0 माध्यमिक अभियान, समस्त जिले।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले।

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले।

विषय – वर्ष 2017–18 में एसएसए के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई सामग्री / राशियों के उपयोग के क्रम में।
संदर्भ – राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने एवं कक्षा–कक्षीय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को निम्नानुसार सामग्री एवं राशिया जारी की गई है।

क्र.स.	गतिविधि का नाम	लाभान्वित कक्षा	क्रियान्विति की अवधि
1	कला किट (20/– रूपये प्रति नामांकन)	कक्षा 1 से 5	राशि प्राप्ति से सात दिवस में विद्यालय तक पहुंच
2	चयनित उत्कृष्ट/आदर्श विद्यालयों में एबीएल कक्ष विकास हेतु 13300/– रूपये प्रति चयनित विद्यालय।	कक्षा 1 से 2	राशि प्राप्ति के पश्चात सात दिवस में।
3	कक्षा 6 के विद्यार्थियों हेतु विशेष शिक्षण सामग्री	कक्षा 6	सामग्री प्राप्ति से सात दिवस में विद्यालय तक पहुंच
4	लर्निंग आउटकम्स (सीखने के प्रतिफल) / शिक्षक मार्गदर्शिका/ सन बोर्ड एवं अभिभावक लीफलेट	कक्षा 1 से 8	सामग्री प्राप्ति से सात दिवस में विद्यालय तक पहुंच

परिषद के जिला प्रभारी अधिकारियों की अवलोकन रिपोर्ट एवं परिषद सीसीई प्रकोष्ठ द्वारा निरन्तर समीक्षा उपरान्त संज्ञान में आया है कि उक्त गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं मॉनटरिंग में जिला स्तर पर शिथिलता बरती जा रही है। राज्य स्तर पर मॉनिटिरिंग के दौरान संज्ञान में आया है कि राज्य सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने में आपके द्वारा लापरवाही / उदासीनता / अनभिज्ञता बरती जा रही है। आपकी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि सामग्रियों एवं राशियों का उपयोग सम्बन्धित विद्यालय / विद्यार्थियों तक कराना सुनिश्चित कराएं। निर्देशों की पालना के अभाव में आपके विरूद्ध राज्य स्तर एवं निदेशालय स्तर से नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए आप व्यक्तिशः जिम्मेदार रहेंगे।

www.rajteachers.com

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांकः राप्राशिप/जय/सीसीई/2017–18/ 14287 दिनांकः 5/3/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राप्राशिप, जयपुर।
5. कार्यालय प्रति।

(डॉ0 प्रियाबलराम शर्मा)
उपायुक्त, सीसीई